मदनलाल ..... बनाम सरकार

प्रकरण सख्या .....
महोदय,

निवेदन है कि जर्ये अभिभाषक अपीलार्थी ने DR AKLEG के आदेश **दिनांक** 6/3/18 मिसल नम्बर 161/18 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

1. **यह कि अपील अवधि ~~मध्या है~~**/ नही है।
2. **यह कि उचित कोर्ट फीस चस्पा है।**
3. **यह कि अपील अवधि मध्य नही होने से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रा0पत्र मय भापथ पत्र प्रस्तुत किया है।**
4. **यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति सलग्न है।**
5. यह कि न्यायालय के श्रवणाधिकार/ **क्षैत्राधिकार मे है।**
6. **यह कि प्रा0पत्र बाबत स्थगन आदेश मय भापथ पत्र उचित कोर्ट फीस पर पृथक से सलग्न है।**

रिपोर्ट प्रस्तुत है।

रीडर

24/7 रिपोर्ट सरिस्ता सविस्तार है। **अपील अपीलार्थी** दर्ज रजिस्टर/ सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जावे, **रेस्पो0 को जर्ये ~~सम्मन तलब~~ किया जावे।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब **की जाकर पत्रावली दिनांक** 11/5/18 पेश हो।

5/11/18 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट वकील अपीलान्ट देवी की अनुपस्थिति न्यायालय समय तक इन्तजार किया गया। रूल-2 व 9-2 आगामी लगाई गई। अतः प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट मं. 2 को स्थानान्तरित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनाई जाने बाद वापसी तकमील पावित्र प्रस्तुत हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(राज.)